अनुदान संख्या 40 - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 40 – INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged-*				
मूल	*Original*	*74,52,00*	*78,53,00*	*74,02,02*	*-4,50,98*
पूरक	*Supplementary*	*4,01,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	2314,36,00	2352,44,00	2347,15,76	-5,28,24
पूरक	Supplementary	38,08,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted-		9,68,00	61,71	-9,06,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8,37,40

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में कुल बचतें *(₹450.98 लाख)* मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए *₹401.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹450.98 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *₹401.00 lakhs* obtained in March, 2012 and constituted 6 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"				
लेखा परीक्षा	Audit				
मू.	*O.*	*7452.00*	*7853.00*	*7402.02*	*-450.98*
पू.	*S.*	*401.00*			

(I) "भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक - यू.एन. लेखापरीक्षा इकाई" के अंतर्गत *₹469.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹185.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹654.00 लाख* कर दिया गया। तथापि, *₹448.60 लाख* (पूरक *विनियोग* सहित) की बचत विदेश मंत्रालय और यू.एन./विदेशी कार्यालयों के बीच लेखा समाधान न होने के कारण हुई।

(I) Under "Comptroller and Auditor General of India – U.N. Audit Unit" – the original *appropriation* of *₹469.00 lakhs* was augmented to *₹654.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹185.00 lakhs*. However, there was a saving of *₹448.60 lakhs* (including supplementary *appropriation*) – due to non reconciliation of accounts between Ministry of External Affairs and UN/Overseas offices.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹528.24 लाख) अगस्त, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹3808.00 लाख के पूरक अनुदान का 14 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का आधा प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹528.24 lakhs) constituted 14 percent of the supplementary grants of ₹3808.00 lakhs obtained in August, 2011 and March, 2012 and half percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"				
लेखा परीक्षा	Audit				
मू.	O.	231436.00	235244.00	234715.76	-528.24
पू.	S.	3808.00			

(I) "वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालय - फील्ड कार्यालय" के अंतर्गत ₹9497.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹20.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹9517.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹91.61 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम का समाधान न होने और पूर्तिकर्ताओं द्वारा फील्ड लेखा परीक्षा दलों को लैपटाप की पूर्ति न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Commercial Audit Offices – Field Offices" – the original provision of ₹9497.00 lakhs was augmented to ₹9517.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹20.00 lakhs. However, there was a saving of ₹91.61 lakhs (including supplementary grant) – due to non-settlement of modified assured career progression scheme arrears and non supply of laptops for field audit parties by the suppliers.

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilized to the extent as shown against each: -

(का) "सिविल लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय - सिविल लेखा कार्यालय"-₹87419.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2850.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹90269.00 लाख कर दिया

(A) "Civil Audit and Accounts Offices - Civil Accounts Offices" – the original provision of ₹87419.00 lakhs was augmented to ₹90269.00 lakhs

गया, तथापि, जो वाउचर स्तरीय कम्प्यूटरीकरण (वी एल सी) उन्नयन परियोजना का पूरा न होने और संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों की अदायगी न किए जाने के कारण ₹ 2679.78 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

by obtaining supplementary grant of ₹2850.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2679.78 lakhs - due to non-completion of Voucher Level Computerisation (VLC) upgradation project and non-payment of modified assured career progression scheme arrears.

(खा) "समुद्रपार लेखापरीक्षा कार्यालय - फील्ड कार्यालय" - ₹1574.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹116.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1690.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो स्टाफ की तैनाती में विलंब होने और चिकित्सा बिलों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण ₹28.34 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Overseas Audit Offices – Field Offices"- the original provision of ₹1574.00 lakhs was augmented to ₹1690.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹116.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹28.34 lakhs - due to delayed posting of staff and non-submission of medical bills.

(III) "डाक और दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालय - फील्ड कार्यालय" के अंतर्गत ₹121.29 लाख की बचत (₹7177.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने और यात्रा संबंधी दावों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under "Posts and Telecommunications Audit Offices – Field Offices" – saving of ₹121.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7177.00 lakhs) was due to less tours and non settlement of travel claims.

3. उपुर्यक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3. The above savings were partly offset by excess under the following heads: -

(I) "सिविल लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय - सिविल लेखा परीक्षा कार्यालय"-₹1157.69 लाख का अधिक व्यय (₹822.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹108463.00 लाख के कुल स्वीकृत विनियोग की तुलना में) संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों की अदायगी के लिए और फील्ड लेखा परीक्षा दलों के लिए लैपटापों की व्यवस्था कराने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) "Civil Audit and Account Offices – Civil Audit Offices" – excess of ₹1157.69 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹108463.00 lakhs including supplementary grant of ₹822.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of modified assured career progression scheme arrears and provisioning of laptops for field audit parties.

(II) "रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालय" - ₹1008.88 लाख का अधिक व्यय (₹11966.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम और अन्य बकाया राशियों की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) "Railway Audit Offices – Field Offices" – excess of ₹1008.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11966.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of modified assured career progression scheme arrears.

(III) "रक्षा लेखा परीक्षा कार्यालय" - ₹147.12 लाख का अधिक व्यय (₹4587.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ में नया कार्यालय खोले जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) "Defence Audit Offices – Field Offices" – excess of ₹147.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4587.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards opening of new office in Chandigarh.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works					
मू.	O.	215.00		125.60	61.71	-63.89
पु.	R.	-89.40				
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing					
मू.	O.	753.00		5.00	..	-5.00
पु.	R.	-748.00				

(I) ₹753.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - आई ए एवं ए डी के कर्मचारियों के लिए आवास स्कीम - बने बनाए फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत एक मामले में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चेन्नई में इलेक्ट्रिकल कार्य पूरा न किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹753.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Housing Schemes for employees of IA&AD – Acquisition of ready built flats" – due to non-completion of electrical work by Central Public Works Department at Chennai.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - बने बनाए आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹153.29 लाख की बचत (₹215.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बंगलौर और इलाहाबाद में कार्य पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" – "Office Buildings-Other Expenditure – Acquisition of ready built Accommodation" – saving of ₹153.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹215.00 lakhs) was due to non-completion of work by Central Public Works Department at Bangalore and Allahabad.